भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4251

सोमवार, 22 मार्च, 2021 / 01 चैत्र, 1943 (शक)

श्रम संहिता

4251. श्री ए. नारायण स्वामी:

श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत चार श्रम संहिताओं को तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अभिसमय-144 का पालन करने में विफल रहा है;

(ख) क्या भारत को निंदा या दंड जैसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समस्या दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) केंद्र और राज्यों द्वारा अंतिम रूप दी जाने वाली श्रम संहिता का पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने हाल ही में श्रम संहिताओं के नियम तैयार करने संबंधी चर्चा करने के लिए एक परामर्श बैठक बुलाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने उपदान के भुगतान के लिए कोई दिशा-निर्देश/मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का एक संस्थापक सदस्य होने के कारण भारत इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। भारत सरकार ने हमेशा त्रिपक्षीयता के आधारभूत सिद्धांतों का समर्थन किया है। आईएलओ ने भारत के चार श्रम संहिताओं को लागू करने में त्रिपक्षीय परामर्श संबंधी आईएलओ अभिसमय (कन्वेंशन) -144 के अनुपालन में कमी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। चारों संहिताओं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक

सुरक्षा संहिता, 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इससे पूर्व, सरकार ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों को आमंत्रित करते हुए व्यापक विचार-विमर्श किया था। सरकार ने सभी चार संहिताओं के संबंध में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों और राज्य सरकारों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 10.03.2015, 13.04.2015, 06.05.2015, 14.07.2015, 06.10.2015, 04.10.2017, 22.11.2018, 27.11.2018 और 05.11.2019 को नौ त्रिपक्षीय परामर्श बैठकें आयोजित की थी। इन सभी संहिताओं को आम जनता सहित सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, इन सभी संहिताओं को जांच हेतु श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने, संहिताओं की जांच की प्रक्रिया में, ट्रेड यूनियनों/संगठनों/व्यक्तियों/हितधारकों से उनके विचार/ सुझाव मांगे थे और साथ ही केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य संघों/संगठनों/हितधारकों से मौखिक साक्ष्य भी लिया था। इन श्रम संहिताओं पर विचार करने और संसद में पारित करने से पहले समिति की रिपोर्टों को ध्यान में रखा गया था।

(ड.): चारों श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा चारों श्रम संहिताओं संबंधी प्रारूप नियमों पर विचार विमार्श करने हेतु सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए विडियो कार्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 तथा 12 जनवरी, 2021 को त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई थी। तीसरी त्रिपक्षीय बैठक 20 जनवरी, 2021 को फिजिकल मोड में आयोजित की गई।

(च): जी, नहीं। तथापि, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में नियत अवधि कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम लगातार सेवा की आवश्यकता को पांच वर्ष से कम करके एक वर्ष किया गया है।

*****